कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल
समग्रशिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण,स्कूल शिक्षा विभाग की क्रीडा प्रतियोगिताओ एवं अन्य निर्धारित कार्यक्रम 2019–20

(1)

चाय/अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा की विस्तृत शर्ते

वर्ष 2019–20 में समग्रशिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण, क्रीडा प्रतियोगिताओं एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम,जिनका आयोजन आगामी माहों में प्रस्तावित है, में चाय–स्वल्पाहार–भोजन की व्यवस्था हेतु सीलबंद निविदाए **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** के नाम आमंत्रित की जा रही है।

01– **निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय कार्यालय/संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेंड अथवा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।उक्त शपथपत्र रु 500/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।**प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें निर्धारित फार्म में भरकर ही प्रस्तुत की जावे।फार्म में दरें अंकित न होने की स्थिति में निविदा मान्य नही की जावेगी।

02– **फर्म को भोजन व्यवस्था संबंधी शासकीय कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष (निरंतर) भोजन उपलब्ध कराने का अनुभव होना आवश्यक है।कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे। निविदा फार्म के साथ जीवित संस्था पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन नम्बर एवं जी.एस.टी क्रमांक जो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किया गया हो ,की छाया प्रति संलग्न करें।**

03 फर्म का स्थापना पंजीयन क्रमांक,नगर निगम से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें। समस्त कर(जी.एस.टी अथवा किसी भी प्रकार का कर जो शासन द्वारा निर्धारित है) जमा करने का दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा। **कार्यालय द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. का कटोत्रा किया जावेगा।**

04 – फर्म द्वारा उक्त व्यवस्था हेतु दी जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता पूर्व में शासकीय आयोजन में किये गए अनुभव/प्रमाण पत्र तथा फर्म (रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय) की प्रतिष्ठा के आधार पर कार्य आदेश दिया जाएगा। क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। असंतोषजनक गुणवत्ता/किसी प्रकार की कमी/शिकायत प्राप्त होने पर आपका कार्यादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा अन्य फर्म को कार्यादेश प्रदान करने एवं

आपकी धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** के पास सुरक्षित रहेगा साथ ही संबंधिम फर्म का नाम ब्लेक लिस्टेड कर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। किसी भी प्रकार न्यायालयीन प्रकरण उद्भुत होता है तो न्यायालयीन कार्यक्षेत्र भोपाल होगा। निविदा बगैर बताये मान्य करने एवं अमान्य करने का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगा।

05– **दरे निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए अथवा नवीन विज्ञापन प्रकाशन होने तक वैध होगी।**

06– इस निविदा शर्त के साथ धरोहर राशि **रूपये 100000/– (रु एक लाख मात्र)**का **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। चैक/पोस्टल आर्डर/नगद राशि/किसी प्रकार के बचत पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। प्रतिदिन संख्या अनुसार निर्धारित स्थल पर नियत समय पर भोजन एवं अल्पाहार चाय की व्यवस्था करनी होगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नही होने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

07– प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले चाय–नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यक टेन्ट/क्राकरी/बर्तन/ईधन/फर्नीचर/वेटर/मजदूरो/साफ–सफाई कर्मी रसोईयें के पारिश्रमिक/व्यय निविदाकर्त्ता को स्वंय वहन करना होगा। नवीन एवं साफसुथरे बर्तनो का उपयोग किया जावे।

08– भोजन सामग्री उत्तम क्वालिटी के उत्तम ब्राण्डेड रिफाइंड तेल, एवं उत्तम मसाले से तैयार करना होगा। भोजन तैयार करने से पूर्व कच्चे माल की गुणवत्ता का,गुणवत्ता समिति से निरीक्षण कराना होगा। न्यूनतम दो घण्टे की अवधि में भी आवश्यक संख्या से अवगत कराने पर सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

09–कार्यक्रम/प्रदर्शनी के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर दुर्घटना ग्रस्त मजदूर अथवा कर्मी को क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा।क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान ना करने की दशा में उक्त हर्जाना राशि की कटोत्रा धरोहर राशि एवं संबंधित फर्म को भुगतान योग्य राशि से कटोत्रा कर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को भुगतान करने हेतु आयोजन समिति(संयुक्त संचालक लो.शि.भोपाल संभाग भोपाल) स्वतंत्र होगी।

आयोजन में ली गई सामग्रियों के उपयोग के दौरान सामग्री के क्षतिग्रस्त /टूट फूट होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। (2)

10— निर्धारित प्रपत्र में समस्त कर(जी.एस.टी सहित)दर ही अंकित की जावे।किसी भी प्रकार के टैक्स/कर का भुगतान कार्यालय संयुक्त संचालक लो.शि.भोपाल संभाग द्वारा पृथक से नही किया जावेगा।

11— संस्था का प्रतिवर्ष शासकीय कार्य का लगभग न्यूनतम **01 करोड** का उपरोक्त कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है सी.ए.द्वारा जारी आडिट रिर्पोट अनिवार्यतः संलग्न करे। **निविदा फार्म के साथ अनुभव प्रमाण पत्र एवं लगातार विगत 02 वर्षो (2017—18 एवं 2018—19) की सी.ए.द्वारा किये गए आडिट प्रतियॉ एवं टर्नओवर का वर्षवार प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी की जमा की गई प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आई.एस.ओ प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी**

12— **कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें।** निविदा के **दोनो लिफाफों पर चाय/अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा 2019—20** आवश्यक रुप से अंकित करें एवं अमानत राशि के ड्राफ्ट के पृष्ट भाग पर फर्म की सील एवं **पर चाय/अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा 2019—20** अंकित करे। निविदा के 02 लिफाफे तैयार कर प्रस्तुत किये जावें। **प्रथम लिफाफें** में समस्त आवश्यक एवं वॉछित अभिलेख पेजिंग कर अनुक्रमणिका के साथ एवं **द्वितीय लिफाफें में** कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गए प्रपत्र एवं डी.डी.रखे जावें। लिफाफो के **निचले भाग में संस्था के प्रोपराइटर का नाम एवं मोबाईल कमांक** अंकित करे।

13 — अपूर्ण/प्रपत्र में दरे अंकित न किये जाने वाली निविदा/शर्तो में उल्लेखित समस्त अभिलेख संलग्न न होने वाली निविदा/समस्त अभिलेखो पर हस्ताक्षर न होने पर प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार **संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पास सुरक्षित होगें।**

14 —कार्य में नियोजित कारगर एवं श्रमिकों को श्रम .नियमो के अंतर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ एवं ई एस.आई एक्ट ,कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट

के प्रावधानो (इनमें से जो लागू हो) के अनुपालन में समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता फर्म की होगी।फर्म द्वारा बाल श्रमिको को नियोजित नही किया जाएगा। (4)

15 – जो निविदा मान्य नही होगी उनकी सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट मूलतः लौटा दिए जायेंगे।स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होंगा।

16 – **निविदाकर्त्ता के पास जिला खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा जारी अद्यतन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।**

17– **कार्यक्रम के दौरान प्रदाय कार्यादेश में उल्लेखित संख्या/मीनू अनुसार ही निर्देशित स्थान पर** भोजन /अल्पाहार (नाश्ता)/चाय उपलब्ध कराना होगा।परिस्थिति अनुसार संख्या धटाई–बढाई जा सकती है।जिसके संबंध में समय सीमा में आपकी संस्था को अवगत करा दिया जावेगा।समय समय पर भोजन की व्यवस्था बुफे अथवा पैकेट में भी करनी होगी।भोजन के पैकेट की पैकिंग करने हेतु निविदाकर्त्ता के पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है।

18– संबंधित फर्म को स्थान एवं दिनांक आदि का विवरण पृथक से कार्यादेश में उल्लेख किया जावेगा।जहॉ पर सामग्री प्रदाय की जाना होगी।

19– कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्र पर ही सभी दरें प्रस्तुत की जावें।

20– समस्त अभिलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए। समस्त आवश्यक एवं वॉछित अभिलेखो की सूची तैयार कर प्रथम लिफाफे में रखी जावे।

21 निविदा फार्म जिस फर्म द्वारा क्रय किये गया है। वही संस्था/फर्म निविदा के माध्यम से दरे प्रस्तुत कर सकेगी। यह निविदा पत्र अहस्तांतरणीय है।

22– सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।

23– विभाग से काई बार न्यून समय में आयोजन हेतु निर्देशित किया जाता है ।अतः **सुविधा की दृष्टि से भोपाल शहर स्थित फर्म ही निविदा में सहभागिता करे। स्थानीय स्थित फर्म ही निविदा सहभागीता कर सकेगी।**

24– ईवेन्ट कम्पनी अथवा ईवेंट संस्थाए निविदा में सहभागिता नही कर सकेगी। मूलतः केटरिंग का कार्य करने वाली संस्था /फर्म ही निविदा में सहभागिता कर सकेगी।

(5)

25 निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर् चयनित फर्म को कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् यदि फर्म द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि करने ,गुणवत्तापूर्ण कार्य अथवा सेवा उपलब्ध न होने पर धरोहर राशि राजसात की जावेगी या कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् कार्यालय को प्रस्तुत किये गए देयक से 20 प्रतिशत राशि या कार्यालय की कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार कटोत्रा किया जावेगा। जो कि चयनित फर्म को मान्य होगा।

संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल